न्यायालय सब जज–तृतीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

विविध वाद–18/2025

संजय कुमार त्रिवेदी – आवेदक
बनाम्
विपिन बिहारी प्रसाद वगैरह – विपक्षीगण

आदेश

20.09.2025

आवेदक की पैरवी है। प्रस्तुत विविध वाद सं0–18/2025 मूल स्वत्व वाद सं0–307/2018 को पुनर्जीवित करने हेतु दाखिल किया गया है। वाद पुकार किया गया। वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवकता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मूल स्वत्व वाद सं0–307/2018 जो दिनांक–21.02.2025 को अदम पैरवी में खारिज हो गया है उसको पुनर्जीवित करने के संबंध में आवेदक/प्रार्थी द्वारा विविध वाद संख्या–18/2025 दाखिल किया गया है। आवेदक ने बरूये हुक्म इम्तनाई दवामी मुदालय को सय तकरारी पर जाने से हमेशा के लिए रोक दिये जाने हेतु न्यायालय से अनुतोष मांगा है। उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण उपस्थित होकर अपना–अपना लिखित प्रतिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष समर्पित किये हैं। दिनांक–15.12.2022 को प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र प्रसाद का निधन हो गया जिनके विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिवादी सं0 1 की जगह पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने दिनांक–21.01.2021 को अपने लिखित प्रतिउत्तर में संशोधन हेतु आवेदन दिया जिसे न्यायालय द्वारा एक हजार रूपया कॉस्ट पर स्वीकृति प्रदान की गयी एवं बयान तहरीरी संशोधन करने की अनुमति दी गयी। प्रतिवादीगण द्वारा आज तक बयान तहरीरी संशोधन आवेदन में लगाया गया कॉस्ट वादी के अधिवक्ता को रिसिभ नहीं कराया गया। प्रतिवादी सं0 1 के विधिक उत्तराधिकारियों के विरूद्ध न्यायालय में अपेक्षिकाएं जमा करने का आदेश 11.09.2023 को दिया किन्तु जिसके अनुपालन नहीं करने हेत वादी का वाद खारिज कर दिया गया किन्तु न्यायालय ने ही अपने ही पूर्व में दिये गये आदेश का अनुपालन हेतु प्रतिवादीगण कोई कार्यवाही नहीं किये। उपरोक्त आदेश को सरसरी ढंग से देखने पर साफ जाहिर होगा कि उपरोक्त आदेश जल्दबाजी में वगैर रिकार्ड मुआयना किये आदेश पारित किया है जो कि न्यायालय वो तथ्य दोनों के विरूद्ध है। स्वत्व वाद खारिज होने से आवेदकगण को अपूरणीय क्षति हुई है जिसे किसी नवे पूर्ति नहीं किया जा सकता है। अतः निवेदन है कि आवेदक का मूल नंबरी वाद संख्या–307/2018 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा दाखिल विविध वाद सं0–18/2025 मूल स्वत्व वाद संख्या–307/2018 को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना किया गया है। आवेदक के द्वारा मूल स्वत्व वाद में उचित कार्यवाही नहीं करने के कारण दिनांक–21.02.2025 को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार आवेदक ने अपने मुकदमा में जिस परिस्थितियों को दर्शाया है जिसके कारण मुकदमा खारिज हुआ है वह उचित प्रतीत होता है। आवेदक के द्वारा मूल स्वत्व वाद को पुनर्जीवित करने हेतु विविध वाद दाखिल किया गया है जो समय–सीमा के अन्दर है। आवेदक द्वारा उचित कार्यवाही नहीं करने के कारण खारिज हो गया है। वाद का सही न्याय निर्णयन हेतु मूल वाद संख्या–307/2018 को पुनर्जीवित करना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए समय तथा व्यय को दृष्टिगत रखते हुए विविध वाद संख्या–18/2025 को न्यायहित में 1000/–रूपये खर्चा के साथ मूल वाद संख्या 307/2018 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक–01.11.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही ।

लेखापित

सब जज–तृतीय